न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित आनन्दी आई.ए.एस

प्रकरण संख्या **02/2019** आवंटन निरस्ती

1. श्री कमला पिता उंकार मीणा निवासी पचानपुरा (रणीया) तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्री केला पिता उंकार मीणा निवासी पचानपुरा (रणीया) तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर (राज.)

—— प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री लोगर पिता उंकार मीणा निवासी पचानपुरा (रणीया) तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती कालकी बाई पत्नी लक्ष्मणलाल मीणा निवासी पंचानपुरा तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर (राज.)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीण्डर जिला उदयपुर

—— विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र धारा 14 नियम 4 कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 बाबत आवंटन निरस्त कराने हेतु

उपस्थितः 1. श्री राजमल मेनारिया, अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री सुरेन्द्र कुमार चौबीसा, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1, 2

निर्णय

दिनांकः— 12.02.2020

प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 नियम 4 कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 बाबत आवंटन निरस्त कराने हेतु के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा रणीया पटवार हल्का धावडिया तहसील भीण्डर के आराजी नं. 325/6, 175, 177, 323 किता 1 रकबा 10 बीघा भूमि विपक्षी सं. 1 व 2 के नाम 4/5 व 1/5 हिस्से से दर्ज है। यह भूमि राजस्व अभिलेख में बिलानाम सरकार थी। जिसमें से 10 बीघा भूमि पर प्रार्थीगण व विपक्षी के पिता का 30 वर्ष से बराबर कब्जा होकर 1/3 हिस्से से मौके पर कब्जे काश्त के उपयोग में ली जा रही है। हमारे पिता उंकार का 25

वर्ष पूर्व निधन हो गया था। दिनांक 20.01.19 को हम प्रार्थीगण उक्त भूमि पर घास काटने गये तो विपक्षी सं. 1 व 2 द्वारा धमकी देते हुए कहा कि यह भूमि हमारी है। अब कभी इस भूमि पर मत आना। जिस पर कहा कि यह जमीन तो बाप दादाओं से अपने सबकी है। उन्होने कहा कि यह भूमि ऐसे व्यक्ति को बेच दूंगा जो तुम्हे जबरन बेदखल कर देगें । जिस पर गांव के लोगों को इकठ्ठा कर समझाईश की तो उन्होने गांव के लोगो की बात को भी नहीं माना। पटवारी हल्का से जानकारी करने पर ज्ञान आया कि दिनांक 18.01.1975 को विपक्षी सं. 1 लोगर ने यह भूमि गैरखातेदारी से राजस्व कर्मचारियों की मिलीभगत कर आवंटन करवा ली गई है। इस भूमि पर 2/3 हिस्सा हमारा होते हुए भी छल, कपट, धोखे से आवंटन करवा दिया गया है। जबकि वास्तविकता यह है कि उंकार लाल के हम तीन पुत्र थे। दोनो प्रार्थी व एक विपक्षी । इस भूमि पर हमारे पिताजी उंकार पिता रूपाजी द्वारा कब्जा कर काबिल काश्त बनायी। प्रार्थीगण जो कि उनके पुत्र है। जिनके द्वारा भी मेहनत मजदूरी कर लाखों रूपये खर्च कर 30 गज गहरा कुंआ खोदा। जिसमें पानी की कमी है। कथित भूमि पर तीनो का बराबर कब्जा था। परन्तु विपक्षी सं. 1 द्वारा धोखे से सम्पूर्ण भूमि अपने नाम पर आवंटन करवा ली गई। आवंटन कमेटी के समक्ष राजस्व कर्मचारियों द्वारा भी सही रिपोर्ट पेश नही की गई। आवंटन कमेटी का सलाहाकार कोरम भी अपूर्ण था। कोरम के प्रमुख सदस्य अनुपस्थित थे। ऐसा आवंटन प्रारम्भ से ही शून्य अवैध एवं क्षेत्राधिकार विहिन होकर अपास्त योग्य है। आवंटी द्वारा भी आवंटन नियमों की पालना नहीं की गई। विपक्षी सं. 1 भूमिहीन व्यक्ति नहीं था। ना ही वह इस आवंटन के लिए पात्र था। प्रार्थी को सर्वप्रथम आवंटन का ज्ञान दिनांक 20.01.2019 को हुआ। जिस पर नकले आदि प्राप्त कर यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः विपक्षी सं. 1 लोगर पिता उंकार मीणा को आंवटित भूमि का आवंटन निरस्त फरमाया जाये।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पर विपक्षी सं. 1 व 2 का हिस्से अनुसार कब्जे काश्त होक8र कृषि कार्य करते चले आ रहे है। वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण व विपक्षीगण के पिता का कभी भी कोई कब्जा नहीं रहा। इस भूमि का कभी भी पाती बटवाडा नहीं किया गया। यह भूमि मात्र विपक्षी सं. 1 के नाम विपक्षी को ही आवंटन हुई है। उसी का कब्जा काश्त होकर उपयोग व उपभोग किया जा रहा है। अन्य सारे तथ्य गलत है। विपक्षी द्वारा प्रार्थीगणो को कभी भी कोई धमकी नही दी। किये गये कथन मनगंढत है। विपक्षी रेकार्डेड खातेदार होकर उसके द्वारा विपक्षी सं. 2 को विक्रय की गई भूमि पर ही वह कब्जे काश्त है। आवंटित भूमि

पर कुंआ विपक्षी सं. 1 द्वारा ही खोद रखा हैं। जिस पर कृषि कनेक्शन लिया जाकर मौके पर मवेशी बांधने के लिए टापरे बना रखे है। विपक्षी सं. 1 द्वारा मेहनत मजदूरी कर इस भूमि पर लाखो रूपया खर्च कर आबादान किया गया। यदि प्रार्थीगण व विपक्षीगण के पिता का कब्जा होता तो कुंए पर कृषि कनेक्शन उनके पिता के नाम से होता। विपक्षी को आवंटन आवंटन कमेटी द्वारा नियमानुसार किया गया है। आवंटन किये जाने में किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि नहीं की गई है। अतः वादग्रस्त भूमि का विपक्षी सं. 1 रेकार्डेड खातेदार होकर विपक्षी को उक्त भूमि की खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके है। ऐसी स्थिति में विपक्षी का आवंटन इस स्तर पर निरस्त किया जाना कतई न्यायोचित नहीं है। अतः प्रार्थी का आवंटन निरस्ती का प्रार्थनापत्र खारीज फरमाया जाये।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी सं. 1 व 2 व विपक्षी सं. 1 के पिता का 30 साल पहले कब्जा कर हम तीनों भाईयो को 1/3 1/3 भूमि को मौके पर बाटकर दी गई। इस भूमि पर हमारे द्वारा कुआ भी खोदा गया। भारी लागत लगाकर भूमि को काबिल काश्त बनायी गई। मौके पर हम तीनों भाई काबिज है। परन्तु विपक्षी सं. 1 द्वारा राजस्व कर्मचारियों से मिलमिलाकर चुपके चुपके सम्पूर्ण 10 बीधा भूमि अपने नाम पर आवंटन करवा ली गई। जबकि इस भूमि पर हमारा सभी का कब्जा बराबर है। आवंटन कमेटी द्वारा भी बिना मौका देखे विपक्षी सं. 1 के पक्ष में गलत रूप से आवंटन कर दी गई। वक्त आवंटन कोरम भी अपूर्ण था। आवंटन नियमों की पालना भी विपक्षी द्वारा नहीं की गई है। अतः आवंटन निरस्त कराना फरमावे। अपने कथनो की ताईद में आरआरटी 2006(1) पेज 318 के दृष्टांत प्रस्तुत किया गया।

विद्ववान अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा अधिवक्ता प्रार्थी के कथनों का विरोध करते हुये निवेदन किया कि इस भूमि पर प्रारम्भ से ही कब्जा काश्त मेरा ही होकर भारी लागत व श्रम लगाकर आबादान की। मौके पर कुआ खोदा। जिस पर विद्युत कनेक्शन लिया। मौके पर पशु को बांधने हेतु टापरे बनाया। कुंए से भूमि को सिंचित किया जा रहा है। सम्पूर्ण परिवार इसी भूमि पर आश्रित है। इस भूमि पर मेरा काफी पुराना कब्जा होने से मुझे यह भूमि नियमानुसार रेगुलाईज होकर मेरे नाम दर्ज हुईं। मात्र विपक्षी को हैरान, परेशान करने के लिए झूठे तथ्यों का सहारा लेकर मनगंढत आधारों पर प्रस्तुत किया गया हैं । यह भूमि मेरे नाम पर दर्ज हुए भी करीबन 46 वर्ष हो चुके है। इतने अति विलम्ब से यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर विपक्षी सं. 1 को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र खारीज फरमाया जाये।

अपने कथनो की ताईद में आरआरटी 2008(2) पेज 834, आरआरटी 2007(1) पेज 18, आरआरटी 2007(2) पेज 1240 के दृष्टांत प्रस्तुत किये गये।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का गहनपूर्वक अध्ययन किया गया। उभयपक्ष के विद्ववान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया गया। बहस पर मनन करने के उपरान्त न्यायालय का मत रहा है कि विपक्षी सं. 1 के पक्ष में वादग्रस्त भूमि का आवंटन दिनांक 18.01.1975 यानिकी 46 वर्ष पूर्व हुआ है। 46 वर्ष के अतिविलम्ब पश्चात भूमि आवंटन निरस्ती का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जाना किसी भी दृष्टि से न्यायोचित नहीं कहा जा सकता हैं। प्रार्थीगण द्वारा जो भी कथन अपने प्रार्थनापत्र में किये गये है उन कथनों की ताईद में भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। उनके द्वारा विपक्षी सं. 1 का भूमिहीन नहीं होना बताया है, जबकि रिपोर्ट पटवारी अनुसार विपक्षी भूमिहीन है। आवंटन कमेटी के पूर्ण कोरम द्वारा भूमि का आवंटन किया गया है। पटवारी हल्का द्वारा भी भूमि संबंधी पूर्ण रिपोर्ट आवंटन कमेटी के समक्ष प्रस्तुत की गई है। वर्तमान में विपक्षी सं. 1 को आवंटित भूमि के खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके है।

अतः विपक्षी सं. 1 के पक्ष में किया गया आवंटन 46 वर्ष बाद खातेदारी अधिकार दिये जाने के उपरान्त उसका आवंटन निरस्त किया जाना उचित नहीं होने से प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र कृषि भूमि आवंटन निरस्ती का खारीज किया जाकर विपक्षी सं. 1 के पक्ष में मौजा रणीया पटवार हल्का धावडिया तहसील भीण्डर के आराजी नं. 325/6, 175, 177, 323 किता 1 रकबा 10 बीघा को यथावत रखे जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय की प्रति तहसीलदार भीण्डर को प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(आनन्दी)
जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anandhi Palaniswamy
Date: 2020.03.18 17:03:58 IST
Reason: SelfAttested
Location: